

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.com
Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.com

46वीं वार्षिक साधारण सभा का अल्पकालीन नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड की 46वीं वार्षिक साधारण सभा, सोमवार दिनांक 30 दिसम्बर 2024 को मध्याह्न 12:15 बजे सभागार, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, टोंक रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर में, सभा की सूचना में वर्णित विषय-वस्तु अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करने के लिये, होनी निश्चित हुई है। उक्त वार्षिक साधारण सभा की सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण एवं वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन निगम के सदस्यों को अलग से डाक द्वारा प्रेषित किया जा रहा है तथा निगम की वेबसाईट www.rajseeds.org पर भी अपलोड कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160(2) तथा इसके नियमों के अंतर्गत एतद् द्वारा समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160(1) के अंतर्गत निम्नलिखित चार व्यक्तियों का नाम निदेशक पद हेतु नियुक्ति के लिये प्राप्त हुआ है। अतः इनका नामांकन निगम की उक्त 46वीं वार्षिक साधारण सभा, जो सोमवार, 30 दिसम्बर, 2024 को मध्याह्न 12.15 राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के सभागार में होनी निश्चित हुई है, में सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा:-

1.	श्री बृज मोहन सैनी, जयपुर
2.	श्री ओम सिंह राठौड़, डीडवाना-कुचामन
3.	श्री जगदीश मीना, भरतपुर
4.	श्री जगदीश यादव, कोटपुतली

व्याख्यात्मक टिप्पणी:- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160(1) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त व्यक्तियों के नाम निदेशक पद हेतु नामांकन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में कार्यरत चार अशासकीय निदेशक जो चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, वे भी पुर्ननियुक्ति हेतु योग्यता रखते हैं। निगम के समस्त सदस्यों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 160(2) तथा इसके नियमों के अंतर्गत सूचित किया जा रहा है।

उक्त सूचना निगम की वेबसाईट www.rajseeds.org पर भी अपलोड की जा चुकी है।

जयपुर,
दिनांक: 20.12.2024

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta
Designation: Managing Director
Date: 2024.12.20 12:47:56 IST
Reason: Approved



DIN 10565348